कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, (मुख्यालय) उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती दीपिका मेघवाल, सहायक आयुक्त

प्रकरण संख्या 52/2015 एवं 53/2015 (2/20, 3/20) सार्वजनिक प्रन्यास श्री पुष्टिमार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास, कांकरोली जिला राजसमन्द

अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959

निर्णय दिनांक 6.10.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि–

1. प्रकरण संख्या 52/2015 में प्रपत्र संख्या 8 दिनांक 24.8.2015 सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के समक्ष दिनांक 19.10.2015 को गोस्वामी श्री बृजेश कुमार की ओर से प्रस्तुत हुआ जिसमे प्रन्यास के प्रस्ताव दिनांक 12.8.2015 के अनुसार गोस्वामी श्री बृजेश कुमार की ओर से कथन किया गया कि स्कीम ऑफ ट्रस्ट के प्रावधान के अनुसार जो प्रन्यास मण्डल बना हुआ है उसकी अवधि पांच वर्ष से ज्यादा गुजर चुकी है और इस कारण से उसे भंग किया जाकर नये प्रन्यास मण्डल का गठन किया गया जिसमे श्री वागीश कुमार गोस्वामी, श्रीमती रश्मिका गोस्वामी, श्री शरद चन्द्र शाह, श्री कमल सिंह वर्मा , श्री मुकेश भाई मेहता तथा श्री नगीन दास पारीक को इस प्रन्यास का सदस्य बनाये जाने की प्रार्थना की।

2. प्रकरण संख्या 53/2015 श्री पुष्टिमार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास कांकरोली, जिला राजसमन्द के प्रन्यासी परिवर्तन के बारे मे सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के समक्ष अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत एक अन्य प्रपत्र संख्या 08 दिनांक 12.06.2015 को गोस्वामी श्री पराग कुमार एवं गोस्वामी श्री शिशिर कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्री नैमिष कुमार, श्री रौनक, श्री कपिल कुमार, श्री द्वारकेश लाल को इस प्रन्यास का प्रन्यासी बनाये जाने बाबत सूचना दी है।

आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि

3. यह कि दोनो अलग अलग पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर दो अलग–अलग पत्रावलिया दिनांक 03.11.2015 को खोली जाकर अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत सूचना पत्र जारी किये गये।

4. पक्षकारान की ओर से अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने पक्षकारो की ओर से उजरदारी प्रस्तुत किये गये। दिनाक 02.08.2019 को प्रकरण संख्या 52/2015 एवं 53/2015 के अधिवक्तागण की सहमति से दोनो प्रकरणो को प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु समान होने के कारण क्लब किया जाने का निर्देश दिया गया और पत्रावली संख्या 52/2015 मे कार्यवाही जारी रखी गयी और प्रकरण संख्या 52/2015 के प्रार्थी गोस्वामी श्री बृजेश कुमार को प्रार्थी तथा प्रकरण संख्या 53/2015 के प्रार्थी श्री गोस्वामी पराग कुमार एवं श्री शिशिर कुमार को अप्रार्थी के रूप मे संबोधित किया जाने लगा।

अब आगे से प्रकरण संख्या 52/2015 के प्रार्थी को प्रार्थी तथा प्रकरण संख्या 53/2015 के प्रार्थी को अप्रार्थी के रूप मे संबोधित किया जावेगा।

5. प्रार्थी व अप्रार्थी की ओर से प्रकरण मे विस्तृत मौखिक बहस की गयी एव, न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये तथा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी।

प्रार्थी ने अपनी मौखिक बहस मे बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मीटिंग दिनाक 12.08.2015 मे पूर्ण कोरम था और इस मीटिंग के जरिये नये प्रन्यासी श्री वागीश कुमार गोस्वामी, श्रीमति रश्मिका गोस्वामी, श्री शरत चन्द, श्री कमल सिह, श्री मुकेश भाई मेहता, तथा श्री नगीनदास पारीख को इस मीटिंग के जरिये नया प्रन्यासी लिया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे यह भी बताया गया कि मदिर श्री द्वारकाधीश निजी सम्पदा नही होकर सार्वजनिक प्रन्यास की सम्पदा है। प्रार्थी ने अपनी बहस मे स्कीम ऑफ ट्रस्ट के बारे मे बताते हुये तृतीय पीठाधीश्वर तथा मैम्बर ऑफ फैमिली ऑफ तृतीय पीठाधीश्वर की परिभाषा स्कीम के अनुसार बताते हुये कहा कि गोस्वामी श्री बृजेश कुमार पुत्र श्री बृजभूषण लाल उनके पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र जो भी वंशानुगत रूप से रूल ऑफ प्राईमोजिनेचर के अनुसार तृतीय पीठ पर गद्दी के तृतीय पीठाधीश्वर के पद पर रहेगे। स्कीम ऑफ ट्रस्ट के पेज संख्या 3 पर "ए" से "बी" तृतीय पीठाधीश्वर की परिभाषा है । पेज 4 पर मैम्बर ऑफ तृतीय पीठाधीश्वर की "सी " से "डी" परिभाषा

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
मुख्यालय, उदयपुर

है। प्रन्यास के कार्यकाल के बारे मे स्कीम मे पेज संख्या 6 "ई" से "एफ" वर्णित किया गया है। पेज 08 पर "के" से "एल" यदि कोई मैम्बर चार मीटिंगो से अधिक समय पर अनुपस्थित रहे है तो उसकी मेम्बरशीप रद्द की जा सकती है। पेज संख्या 09 मे "जी" से "एच" मेम्बर ऑफ बोर्ड का कार्यकाल बताया गया है किन्तु परन्तुक क्लोज मे इसे आगे भी बढाये जा सकने का प्रावधान किया गया है इसी पेज की मद संख्या 12 मे "आई" से "जे" रिक्तियो को भरने के बाबत प्रन्यास के तृतीय पीठाधीश्वर के अधिकारो के बारे मे बताया जाकर कहा कि उन्हे प्रन्यास मे रिक्तियां भरने के अधिकार है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 38 के प्रार्थना पत्र प्रदर्श–9 के पेज 03 की मद संख्या 03 पर "ए" से "बी" मे वर्णित तथ्यों पर जोर देते हुये कहा कि अप्रार्थी के अनुसार भी श्री बृजेश कुमार जी को नये ट्रस्टी नियुक्त करने बाबत ही वीटो अधिकार होना कहा है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि तृतीय पीठाधीश्वर को स्कीम के अनुसार इस प्रन्यास का अध्यक्ष होना भी वर्णित है। अपनी बहस मे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह भी कहा गया कि प्रन्यास की स्कीम को अप्रार्थी द्वारा भी मान्य करार करते हुये राजस्थान उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 15004/2016 मे पेश किया जाना स्वीकार किया है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने इस बात पर भी काफी जोर देते हुये बहस की कि प्रपत्र संख्या 08 जो कि पराग कुमार जी एवं शिशिरकुमार जी ने मोहन लाल सेठियार के हस्ताक्षर से दिनांक 12.06.2015 को पेश किया है उस पर पराग कुमार जी एवं शिशिर कुमार जी के हस्ताक्षर नही होते हुये मात्र मोहन लाल सेठियार के हस्ताक्षर से प्रस्तुत है । प्रार्थी ने अपनी बहस मे यह भी बताया कि इस कार्यालय के आदेश के जरिये अप्रार्थी द्वारा अखबार मे जो प्रकाशन जरिये प्रदर्श– डी27 करवाया गया है वह भी प्रपत्र संख्या 08 दिनांकित 12.06.2015 के बारे मे ही कराया गया है ऐसी सूरत मे अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र संख्या 08 इनकोम्टिेन्ट है और इसे स्वीकार नही किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे यह भी बताया कि कार्यालय से ऐसा कोई आदेश नही हुआ जिसके जरिये अप्रार्थी को अंग्रजी मे वर्णित प्रार्थना पत्र का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया हो न ही कोई तकनीकी त्रुटि कार्यालय द्वारा बतायी गयी। प्रार्थी द्वारा

श्री बृजेश कुमार गोस्वामी को कार्यवाहक प्रन्यासी होने का आदेश तथा प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा बहस की गयी और कहा कि अन्य किसी को भी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी नही किया जा सकता, मात्र कार्यवाहक प्रन्यासी को ही पंजीयन प्रक्रिया की जांच के उपरान्त जारी किया जा सकता है। ऐसी सूरत मे श्री बृजेश कुमार गोस्वामी कार्यवाहक प्रन्यासी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–18ए स्वीकार करते हुये इसकी पेज संख्या 02 मे इस कार्यालय द्वारा कार्यवाहक प्रन्यासी लिखा जाना तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 38 प्रदर्श–9 तथा इसके उपरान्त इसकी अपील मे आयुक्त महोदय द्वारा जारी आदेश प्रदर्श–35 जिसमे श्री बृजेश कुमार को कार्यवाहक प्रन्यासी/अध्यक्ष के रूप मे संबोधित किया जाना तथा प्रार्थी श्री बृजेश कुमार को कार्यवाहक प्रन्यासी होना तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 38 प्रदर्श–9 के नोटिस भी प्रार्थी श्री बृजेश कुमार जी के विरूद्व जारी होना मानते हुये अपने आप को कार्यवाहक प्रन्यासी स्वीकार किया जाना कथन किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तलेखा विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रदर्श–46 तथा प्रदर्श–47 के बारे मे कहा है कि जिस हस्तलेखा विशेषज्ञ से यह रिपोर्ट करवायी गयी है वह अनाधिकृत है उसने फोटोकॉपियो का मिलान करवाया है क्योकि मूल दस्तावेज कार्यालय मे ही उपलब्ध रहा है ऐसी सूरत मे जो रिपोर्ट प्रदर्श–46 तथा प्रदर्श–47 प्रस्तुत की गयी है उसका कोई महत्व नही है। प्रार्थी ने इस प्रन्यास मे ज्येष्ठाधिकार की परम्परा को अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया जाने बाबत कथन करते हुये कहा है कि प्रदर्श–23डी जिसे अप्रार्थी ने प्रस्तुत किया है उसे इस कार्यालय द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थी की आपत्ति का निस्तारण करते हुये प्रार्थी के अधिवक्ता को अप्रार्थी गवाह से इस दस्तावेज प्रदर्श–23डी को कन्फ्रन्ट कराने की इजाजत दी है जिससे यह जाहिर है कि अप्रार्थीगण की प्रार्थी श्री बृजेश कुमार को परम्परा के अनुसार श्री बृजभूषणलाल जी के देहान्त के पश्चात इस प्रन्यास का एकमात्र उत्तराधिकारी मानते है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि सिविल जज वडौदरा की डिक्री प्रकरण संख्या 316/2012 जो कि अप्रार्थी द्वारा प्रदर्श–डी31 के रूप मे प्रस्तुत की गयी है उसमे यह वर्णित किया गया है कि कम्प्रोमाईज डिक्री किसी भी कानून, उपकानून, सरक्यूलर, नियम तथा उपनियम जो भी

प्रमाणित प्रतिलिपि
देवस्थान विभाग
उदयपुर

किसी अधिकृत निकाय द्वारा बनाये गये हो उनपर यह ओवरराईडिंग प्रभाव नही रखेगी और इस डिक्री के मुताबिक कोई भी निकाय अपना निर्णय सिविल जज बड़ौदरा की डिक्री से बिना प्रभावित हुये पारित करेगा तथा यह राजीनामे से हुयी डिक्री पर उन व्यक्तियो पर कोई प्रभाव नही रहेगा जो कि इस दावे मे पक्षकार नही है और इस कारण से यह डिक्री तृतीय पीठ प्रन्यास पर बाध्यकारी नही है क्योकि यह प्रन्यास दावे मे कभी पक्षकार नही था और इसके अतिरिक्त सहायक आयुक्त देवस्थान विधि द्वारा स्थापित एक अधिकृत निकाय है जो कि अर्द्धन्यायिक अस्तित्व रखते है वे अपने निर्णय अधिनियम के दायरे मे विधिसम्मत आदेश प्रसारित कर सकते है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि अधिनियम के दायरे मे मात्र कार्यवाहक प्रन्यासी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो प्रपत्र संख्या 08 भरने की अधिकारिता रखता है अन्य कोई नही। और प्रार्थी श्री बृजेश कुमार जी इस प्रन्यास मे प्रन्यास गठन की दिनांक से आज तक कार्यवाहक प्रन्यासी है जो प्रन्यास की स्कीम के अनुसार कार्य कर रहे है और स्कीम के प्रावधानो के अन्तर्गत जो भी निर्णय लिया गया है वह बिल्कुल सही है।

अप्रार्थी अधिवक्तागण द्वारा प्रकरण मे विस्तृत बहस की गयी। अप्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि प्रन्यास का प्रस्ताव संख्या 01 और 02 जो अप्रार्थीगण को इस प्रन्यास का वशानुगत प्रन्यासी बनाने बाबत तथा अप्रार्थीगण की ओर से 2–2 व्यक्तियो को प्रन्यासी लिया गया है वह बिल्कुल सही है। अप्रार्थीगण ने कार्यालय के आदेश से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो अंग्रेजी मे प्रस्तुत किया गया था उसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने के लिये कहा। उसके बाद पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे भी बताया गया कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे तकनीकी त्रुटि बतायी गयी और किसी भी कार्यालय द्वारा इस सम्बंध में लिखित में नहीं दिया जाता है। उसके सुधार के उपरान्त यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण कानून से अनभिज्ञ व्यक्ति है जो श्रीमान के समक्ष ट्रस्टी बनकर आये है अधिनियम के अन्तर्गत उन्हे किसी कानून की जानकारी होना आवश्यक नही है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि कार्यवाहक प्रन्यासी होने का दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रन्यास के बारे मे पूर्व मे श्री बृजभूषण लाल जी के

किस्म मुकदमा

तारीख हुक्म

3.11

समय अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी और वर्ष 1971 मे इस प्रन्यास का पंजीयन हो गया था जिसे उन्होने नही माना और सहायक आयुक्त के फैसले की अपील आयुक्त महोदय के यहॉ की गयी जहाँ से पंजीयन का आदेश बरकरार रहा और श्री बृजभूषणलाल जी द्वारा जिला न्यायालय राजसमन्द के समक्ष अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत जरिये सिविल दावा 09/1975 चुनौती दी गयी जहाँ से देवस्थान विभाग के आदेशो पर स्थगन जारी हो गया तथा यह मुकदमा वर्ष 1980 मे महाराज श्री बृजभूषणलाल जी के देहान्त के उपरान्त जिला न्यायालय से अबेट हो गया जिसके बाबत दिनांक 20.02.1980 को स्व. बृजभूषणलाल जी के वारिसान होने के नाते मुकदमे मे प्रार्थी श्री बृजेश कुमार, श्री पराग कुमार तथा श्री शिशिर कुमार को वारिस बनाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा मुकदमे को रेस्टोर करवाया गया। स्व. बृजभूषणलाल जी के देहान्त के उपरान्त प्रार्थी श्री बृजेश कुमार ने सहायक आयुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्रप्रदर्श–डी39 प्रस्तुत किया जिस पर सहायक आयुक्त जरिये प्रदर्श–डी35 द्वारा यह लिखा गया कि प्रकरण जिला न्यायालय मे प्रस्तुत किया हुआ है तथा जिला न्यायालय का स्थगन चल रहा है ऐसी सूरत मे जिला न्यायालय का स्थगन आदेश निरस्त होने के उपरान्त ही अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी और इसके उपरान्त प्रार्थी श्री बृजेश कुमार ने जिला न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की सहमति से प्रार्थना पत्र बाबत बाजदायरी प्रदर्श–डी36 एवंप्रदर्श–डी37 प्रस्तुत किये। और जिला न्यायालय से मुकदमे को विथड्रो करने के उपरान्त सहायक आयुक्त के समक्ष स्कीम प्रस्तुत कर दी जिस पर आदेश दिनांक 9.11.1981 प्रसारित हुआ। अप्रार्थीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम स्व. महाराज बृजभूषण लाल जी के द्वारा छोडी गयी सम्पत्ति के बराबर–बराबर अधिकारी है और इस कारण से उनके भी इस प्रन्यास मे बराबर के अधिकार है और वे भी इस प्रन्यास मे कार्यवाहक प्रन्यासी की हैसियत रखते है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी बताया गया कि इस प्रन्यास मे कभी भी रूल ऑफ प्रोमाईजनेचर (ज्येष्ठाधिकार की परम्परा) की परम्परा नही रही क्योकि परम्पराओ के अनुसार वल्लभाचार्य जी के सात पुत्र थे और उन सात पुत्रो मे भी बराबर का बंटवारा हुआ था। भगवान द्वारकाधीश जी का स्वरूप भी निधि है जो

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
मुख्यालय, उदयपुर

वल्लभाचार्य जी के तीसरे पुत्र को मिली और इसलिये ही यह तृतीय पीठ कहलायी। अपनी बहस मे अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि स्व. महाराज बृजभूषणलाल जी ने वर्ष 1966 मे सम्पत्ति का बंटवारा कर दिया गया था उस समय मात्र श्री बृजेश कुमार जी ही वयस्क थे जबकि अप्रार्थीगण श्री पराग कुमार जी एवं श्री शिशिर कुमार जी नाबालिग थे। द्वारकाधीश जी का बंटवारा नही हुआ है यह एक जोइन्ट आईडोल है। सिविल जज बडौदा के समक्ष प्रार्थी बृजेश कुमार जी मौजूद थे जिन्होने बंटवारो को स्वीकार किया है और इस बाबत उनके बयान भी हुये है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे हमे यह भी अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिकृत भाषाओ के बाबत बताया गया है । इसके अतिरिक्त भी अन्य कई भारतीय भाषाये भी है। अनुवाद संलग्न होने पर किसी भी भाषा मे अदालत द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस मे यह भी बताया कि रूल ऑफ प्रोमाईजनेचर को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 04 के अन्तर्गत इसे खारिज किया गया है और ऐसी कोई व्यवस्था अब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मे नही है किन्तु अपवादो मे ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 05 मे विशेष प्रावधान दिये गये है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी बताया कि सिविल कोर्ट मे राजीनामा हो गया है तो सभी ट्रस्टीयो का बराबर बराबर का अधिकार है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा यह भी बताया गया कि प्रार्थी द्वारा जो प्रस्ताव दिनांक 12.08.2015 को पारित किया है वह अवैध है तथा रश्मिका गोस्वामी को जो प्रार्थी द्वारा प्रन्यासी के रूप मे नामित किया गया है वह भी स्कीम के विपरीत है क्योकि रश्मिका गोस्वामी स्कीम के अन्तर्गत मैम्बर ऑफ फैमिली ऑफ पीठाधीश्वर की परिभाषा मे नही आती है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रन्यास की स्कीम के मद संख्या 24 पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि अप्रार्थी प्रन्यास मीटिंग दिनांक 25.11.1981 के अनुसार इस प्रन्यास के उपाध्यक्ष है और मात्र उपाध्यक्ष को ही इस प्रन्यास मे सहायक आयुक्त के समक्ष किसी भी कार्यवाही करने के लिये अधिकार प्राप्त है। स्कीम की धारा 14 के अनुसार बोर्ड की मीटिंग होती है जिसमे सभी को रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना जरूरी है और स्कीम की धारा 8 (3) के अनुसार

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
मुख्यालय, उदयपुर

प्रन्यास मे तृतीय पीठाधीश्वर को सभी से विचार विमर्श करने के बाद ही नये प्रन्यासी लिये जा सकते है। ऐसी सूरत मे जो प्रार्थी द्वारा जो मीटिंगे बुलायी गयी है वे अवैध है क्योकि उनमे कोरम का अभाव है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्तमान मे 13 ट्रस्टी हो गये है और स्कीम की धारा 24 के अनुसार ही अप्रार्थी द्वारा प्रपत्र संख्या 8 प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी अभी भी उपाध्यक्ष के पद पर कायम है और जो प्रपत्र संख्या 8 अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसी पर श्रीमान द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही की गयी है। मात्र मोहनलाल सेठियार के द्वारा यह प्रपत्र संख्या 8 प्रस्तुत किये जाने से यह नही माना जा सकता कि यह प्रपत्र संख्या 8 पराग कुमार जी एवं शिशिर कुमार जी द्वारा पेश नही किया गया है। अप्रार्थीगण को भी प्रार्थी के समान ही तृतीय पीठाधीश्वर कहलवाने का अधिकार है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुये यह भी बताया गया कि कार्यवाहक प्रन्यासी स्व. बृजभूषणलाल जी के देहान्त के बाद अधिनियम की धारा 41 मे कार्यवाही की जानी चाहिये थी किन्तु ऐसा नही किया गया और धारा 23 मे कार्यवाही की गयी है जो कतई गलत है और अन्त मे अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 8 को स्वीकार किये जाने का तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 8 को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

1. विचाराधीन बाबत् श्री बृजेश कुमार द्वारा पीठाधीश्वर अध्यक्ष प्रन्यास पद पर आसिन होते हुए प्रन्यास के मण्डल का प्रस्ताव दिनांक 12.08.2015 के संबंध यह दिनांक 19.10.2015 को फार्म न. 8 प्रस्तुत किया है। जिसमें की मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का काफी समय पूर्व समाप्त हो जाने से मण्डल को समाप्त कर 6 नये ट्रस्टी आवेदन के अनुसार लिये जाने हेतु फार्म संख्या 8 को शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है।
2. इस फार्म 8 की प्रस्तुति के विरूद्ध अप्रार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत करके आवेदक को ट्रस्ट की स्कीम ऑफ ट्रस्ट के खण्ड 24 (2) व (3) के अनुसार फार्म संख्या 8 को प्रस्तुत करने का अधिकार निहित नहीं होना अवगत करवाया तथा अंकित किया कि इन प्रावधानों में केवल उपाध्यक्ष और अधिकारी को ही प्रस्तुत करने का दायित्व प्रदत्त होने से आवेदन सक्षमता के अभाव में काबिले खारिज है। यह भी अवगत करवाया गया कि

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
मुख्यालय, जयपुर

ट्रस्ट में ट्रस्टी की रिक्तियाँ नहीं थी और 6 नये ट्रस्टी इस स्थिति में नियुक्त नहीं किये जा सकते थे। मण्डल को निरस्त करने का भी ट्रस्ट की स्कीम में कोई प्रावधान नहीं है और स्कीम के विरूद्ध प्रस्ताव पारित होने से काबिले निरस्ती है। मीटिंग का नोटिस वागेश कुमार (जो दिनांक 12.08.2015 को सदस्य तथाकथित बने है) व अप्रार्थी पराग कुमार को स्कीम ऑफ ट्रस्ट बाध्यकारी अनुच्छेद खण्ड 14 (4) में होते हुए भी एजेण्डा के साथ नोटिस कभी भी नहीं भेजा गया। आवेदक बृजेश कुमार स्वयं मण्डल के सदस्य होते हुए मण्डल को निरस्त नहीं कर सकते थे तथा उसे बिना मण्डल के राय के नवीन ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार स्कीम में नहीं है। मिटिंग हेतु 4 सदस्यों का कोरम को होते हुए भी कोरम के अभाव में प्रस्ताव 3 सदस्यों द्वारा ही पारित हुआ है। दिनाक 09.01.1981 को देवस्थान विभाग द्वारा श्री शरद चन्द्र, नागिन दास परिक व बृजेश कुमार (तीन ट्रस्टी) बनाये गये थे तथा दिनांक 01.06.2015 को बृजेश कुमार ने फार्म न 8 (प्रदर्श डी 32) प्रन्यास का प्रस्ताव बाबत प्रस्तुत कर उसे दिनांक 29.07.2016 को प्रत्याहरित कर, लिया और परिणामतः दिनांक 12.08.2015 की बैठक में कमल सिह कोरम हेतु गणना योग्य नहीं थे। इसी प्रकार नवनीत लाल चौकसी की मृत्यु होने पर दिनांक 01.06.2015 को फार्म न. 8 बोर्ड मिटिग दिनांक 12.05.2015 बाबत वागेश कुमार गोस्वामी को नियुक्त करने हेतु परित है जो कि आज भी अस्तित्व में है लेकिन इस बाबत फार्म न. 8 को उसी आवेदक ने दिनांक 29.07.2016 को प्रत्याहारित कर लिया । वर्तमान प्रस्ताव द्वारा पुनः दिनांक 12.08.2015 द्वारा को वागेश कुमार को नियुक्त कर दिया गया है। बृजेश कुमार को प्रस्ताव के विद्यमान रहते फार्म न. 8 को प्रत्याहरित करने का अधिकार नहीं था, ना ही वह प्रस्ताव मण्डल द्वारा निरस्त हुआ है। आवेदक को अनुच्छेद 24 (3) अंतर्गत फार्म न. 8 प्रस्तुत करने का अधिकार निहित नहीं था इस प्रकार वागेश कुमार का ट्रस्टी होना विवादित है और मण्डल की बैठक हेतु कोरम की पूर्ति नहीं करता।

ट्रस्टीयों की योग्यता स्कीम ऑफ ट्रस्ट के अनुच्छेद 5 (जे) 8 (2) के अनुसार विचार नहीं किया गया है तथा जनतांत्रिक प्रणाली से स्कीम के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित सम्बन्धित को सुचना के अभाव में प्रस्ताव पारित नही होने से

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
पुष्कर, अजमेर

विचारणीय नही है। इसके परिणामतः स्वयं आवेदक के परिवार के सदस्य स्कीम ऑफ ट्रस्ट के खण्ड 5 (1) के निर्धारित संख्या से अधिक हो जायेगें।

ट्रस्ट में केवल 7 सदस्यों की अधिकतम संख्या सीमित है लेकिन इस प्रस्ताव से 14 सदस्य हो जाऐगे जो निम्न प्रकार हैः

(क) बैठक दिनांक 23.08.2014, 2—2 कुल सदस्य 7 + 4 = 11

(ख) बैठक दिनांक 12.05.2015, वागेश कुमार

(ग) बैठक दिनांक 12.08.2015, रशमिता, मुकेश मेहता, वागेश कुमार

यह कि मण्डल के प्रस्ताव दिनांक—23.05.2014 की पालना में अनुचित अडचन उत्पन्न करने हेतु प्रस्ताव दिनांक—12.10.2015 बनाया गया है। जो कि मण्डल का पारित प्रस्ताव नहीं माना जा सकता हैं।

यह कि अप्रार्थी का कथन है कि स्वयं आवेदक बृजेश कुमार ने प्रदर्श डी—1 से डी—14 के प्रन्यास मण्डल बैठक के पारित प्रस्तावों को अपने बयानों में पारित होना स्वीकार किया हैं। उन्होने मण्डल की राय से ही नवीन ट्रस्टियों को नियुक्त होने के प्रावधान को विधमान होना भी बयानों मे स्वीकार किया हैं। आवेदक बृजेश कुमार ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि तीनों भाई शुरू से ट्रस्टी हैं तथा दिनांक—08.06.2021 की मण्डल में बैठक नवीन ट्रस्टी नियुक्ति स्वीकार की है। आवेदक ने यह भी स्वीकार किया है कि मण्डल की राय से ही नवीन ट्रस्टीयों की नियुक्ति का प्रावधान है तथा वागेश कुमार, नवनीत लाल चौकसी, कमल सिंह वर्मा की ट्रस्टी नियुक्ति की देवस्थान से स्वीकृति की जानकारी नहीं होना भी बतलाया है। आवेदक द्वारा प्रदर्श डी—14 में दिनांक—15.06.2021 को 15.04.2015 कांट—छांट का होना भी स्वीकार किया गया हैं। आवेदक ने स्कीम ऑफ ट्रस्ट में बडे पुत्र को विशेष अधिकार स्कीम ऑफ ट्रस्ट में नही होना भी अपनी गवाही में कहा हैं एवं पिता स्व. बृजभूषण के समय ही पारिवारिक समझौता हो जाना व स्कीम ऑफ ट्रस्ट में उसका उल्लेख नहीं होना भी गवाही में कहा गया हैं। इस गवाह ने स्वयं को कार्यवाहक ट्रस्टी होना बतलाया हैं। श्रीमती रशमिता को स्वयं की पत्नि होना भी आवेदक ने बयान में स्वीकार

आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर
प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
मुख्यालय, उदयपुर

किया हैं। गवाह ने बयानों में कहा है कि उसे अन्य ट्रस्ट में हटाने से इन्हें हटाना गया है जो कि बदनियती दर्शाता हैं।

3. पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं उभय पक्षो के प्रस्तुत लिखित बहस व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का मनन किया गया :— आवेदक ने प्रकरण में मूलतः आवेदन के समर्थन में प्राईमोजिनेचर का सिद्वान्त लागु होना, आवेदक को एन.यू.टी में अनापत्ति दी जानी, प्राईमोजिनेचर का उसे अधिकार होना, अप्रार्थी का हितबद्ध ट्रस्ट सम्पत्ति में होना, विटो अधिकार उसे होना, ट्रस्ट बाबत् दिवानी निर्णय अप्रार्थी के विरूद्व अपील तक होकर याचिका दिनांक—15.04.2015 का लंबित होना व डिक्री हो जाना, देवस्थान द्वारा उसे कार्यवाहक प्रयान्सी स्वीकार करना, आवेदक के कार्यवाहक प्रयान्सी स्वरूप कार्य को अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया जाना, पारिवारीक बंटवारे का बडोदा जिला न्यायालय का प्रकरण ट्रस्ट पर प्रभावी नही होना, आवेदक को वर्किंग ट्रस्टी स्वीकार अप्रार्थी द्वारा करना, प्रबन्धन आवेदक का होना, आवेदक को बडे पुत्र स्व0 बृज भूषण लाल को होने से पीठाधीश्वर अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया जाना, राजीनामा प्राईवेट सम्पत्ति का ही होना कार्यवाहक प्रयान्सी को अधिनियम की धारा 23 के आवेदन का अधिकार होना, कपिल कुमार व निमेश कुमार गोस्वामी का प्रयान्सी न्यास में हितबद्ध सम्पत्तियों का माईन्स होने से होना नोमिनेशन का अधिकार स्कीम ऑफ ट्रस्ट में आवेदक को होना, अप्रार्थी द्वारा कतिपय प्रश्नों का बयान में जवाब नही देने को प्रतिकुल माना जाने की आवश्यकता इत्यादि आवेदक ने उठाऐ है एवं तीन न्याय निर्णयो को प्रस्तुत किया है एवं आवेदन फार्म 8 को स्वीकार करने हेतु अनुतोष चाहा गया है।

4. अप्रार्थी का मूलतः कथन है कि इस स्कीम के अन्तर्गत रिटर्नस आदि को प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को अनुच्छेद 24 (2,3) में अधिकार निहित नही है तथा अनुच्छेद 14(4) अन्तर्गत रजिस्टर्ड ए.डी. से सभी सम्बन्धित को मण्डल की बैठक का नोटिस मय एजेण्डा 15 दिवस पूर्व भेजे जाने हेतु कोई दस्तावेज व शपथपत्र रिकॉर्ड पर नहीं है। आवेदक श्रीमती रशमिता को पत्नी होना भी स्वीकार करता है लेकिन स्कीम के अनुच्छेद 5(1) में वह परिवार की परिधि में नहीं हैं। बोर्ड को भंग करने से बोर्ड राय ली

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
मुख्यालय, उदयपुर

जाकर नवीन ट्रस्टियों की नियुक्ति भी नही हो सकती थी तथा इस राय हेतु स्कीम ऑफ ट्रस्ट में स्पष्ट प्रावधान है। बैठक में आवश्यक कोरम 4 के स्थान पर भी 3 सदस्यों का ही रहा है क्योंकि पूर्व में आवेदक द्वारा प्रस्तुत फार्म नम्बर 8 दिनांक 01.06.2015 को विड्रो दिनांक–29.07.2016 को किया जा चुका था एवं वागेश कुमार के नियुक्ति बाबत् दो बैठक के पृथक–पृथक प्रस्ताव विद्यमान है। विचाराधीन फार्म नम्बर 8 के अनुसार रश्मिता को स्वीकार करने पर परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक हो जायेगी (जो कि वह स्वयं, रशमिता, पुत्र वागेश, कुल 3 होगी)। स्कीम ऑफ ट्रस्ट के खण्ड 11 के अनुसार मण्डल नये सदस्यों के चयन तक लगातार कार्यरत रहना प्रावधित है जिसका उल्लघंन दृष्टिगत होता है। आवेदक का स्कीम के अनुच्छेद 5(4) में मेनेजिंग ट्रस्टी होना भी पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। विचाराधीन फार्म 8 को स्वीकार करने से ट्रस्ट में सदस्यों की निर्धारित संख्या–7 से अधिक सदस्य की हो जायेगी। स्कीम ऑफ ट्रस्ट के अनुसार आवेदन में मेनेजिंग ट्रस्टी नही हो सकते अनुसार आवेदक ना ही उन्हें रिर्टन, फार्म दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार निहित है। बैठक हेतु कोरम भी उपलब्ध नही है एवं बैठक हेतु पुर्ववृति बाध्यकारी प्रावधानों की पालना नही हुई है।

5. अप्रार्थी का कथन है कि प्राईमोजिनेचर हिन्दु उत्तराधिकारीता अधिनियम की धारा–4 तहत प्रभावी नही है एंव ऐसी कोई रीति रिवाज भी नही रहा है। आवेदक ट्रस्ट के फाउन्डर भी नही है एवं समानता के साथ सभी उत्तराधिकारी अधिकार रखते है जो की बडौदा के राजीनामें के निर्णय से भी प्रस्ताव के बाद तय हो गया है। आवेदक एस्टोपल के अन्तर्गत है जिसने पारिवारिक राजीनामा कर वर्ष 1964 मे सभी को ट्रस्टी समान उत्तराधिकारी माना व प्रकरण 53/15 का प्रस्ताव पारित किया है व बडौदा न्यायालय में राजीनामा कर डिक्री करायी है। अप्रार्थी पर विधि विरूद्व भी एस्टोपल लागू नही किया जा सकता है। आवेदक को फार्म 8 प्रस्तुत करने का अधिकार नही है एवं स्कीम ऑफ ट्रस्ट मे कार्यवाहक ट्रस्टी होना अध्यक्ष हेतु वर्जित है। अप्रार्थी ने भी 29 न्याय निर्णय चाल्ट सहित प्रस्तुत किए है एवं दस्तावेजो के प्रदर्श की स्थिति व उनके प्रभाव बाबत भी चार्ट प्रस्तुत किया है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
भूपालपुरा, उदयपुर

6 प्रकरण में सारवान बिन्दु यह है कि :-

(ए) क्या विचाराधीन प्रस्ताव कोरम द्वारा स्कीम ऑफ ट्रस्ट अन्तर्गत प्रक्रिया की पालना कर पारित हुआ है एवं अभी भी विद्यमान पारित प्रस्ताव है ?

(बी) क्या फार्म 8 सक्षम आवेदक में प्रस्तुत किया है ?

(सी) क्या प्रस्ताव पारित करने हेतु सक्षमता व वैधता थी ?

उपरोक्त सम्बन्ध में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाना तर्क संगत एवं न्यायहित में है कि अध्यक्ष आवेदक को स्कीम आफ ट्रस्ट के अनुच्छेद 24 में फार्म, रिटर्न प्रस्तुत करने की सक्षमता का अभाव है एवं उसके कार्यक्षेत्र में नही आता है। उसे कार्यकारी ट्रस्टी बनाया जाना भी स्कीम ऑफ ट्रस्ट में पूर्णतया वर्जित है। उसे कार्यकारी ट्रस्टी बनाये जाने हेतु कोई घोषणा अथवा नियुक्ति भी विचाराधीन होकर जारी नही हुई है। प्रकरण में प्रस्ताव हेतु आवश्यक कोरम का भी अभाव है एंव वैध 3 सदस्य ही स्पष्टतया है। पत्रावली पर कोई इस साधारण बैठक हेतु 15 दिवस पूर्व का रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस ऐजेन्डा सहित जारी किया जाना रिकार्ड पर प्रस्तुत नही हुआ है एवं ना ही इस बाबत पालना करने का कोई कथन है तथा यह बाध्यकारी प्रावधान स्कीम ऑफ ट्रस्ट में है। स्कीम ऑफ ट्रस्ट ने मण्डल के कार्यकाल 5 वर्ष बाद भी अगले नियुक्ति तक कार्यशील मण्डल का होने का प्रावधान है जो कि मण्डल की राय से नवीन नियुक्ति/नोमिनेशन करने हेतु है इसके विपरीत मण्डल को राय देने के अधिकार से वंचित करते हुये बिना मण्डल की राय के 6 ट्रस्टीयो की नियुक्ति हुई है जो स्कीम के प्राक्धनो अनुसार प्रतीत नही होती इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से आवेदक के 3 सदस्य ट्रस्ट में हो जायेगे, जबकि उनकी अधिकतम संख्या स्कीम आफ ट्रस्ट में 2 है। इस प्रकरण में उठाये गये अन्य बिन्दुओ पर ऐसी स्थिति में कोई विवेचना की आवश्यकता दृष्टिगत नहीं होती है एवं आवेदक द्वारा पदाधिकारीयो के अनुच्छेद 24 के अधिकारो में अतिक्रमण को देखते हुऐ आवेदक में Locusstandi का अभाव है। ट्रस्टीयो का नामाकंन भी मण्डल की राय के बिना हुआ है एवं मण्डल को भंग करने का स्कीम ऑफ ट्रस्ट में कोई प्रावधान नही है बल्कि मण्डल आगामी नियुक्ति तक निरन्तर रखे जाने का प्रावधान है जिसकी पालना नही हुई है बल्कि मण्डल को ही भंग कर दिया

गया है। प्रकरण में बैठक हेतु निर्धारित प्रक्रिया व प्रावधानो की अनदेखी की गयी हैं तथा आवेदन को स्वीकार किया जाना ट्रस्ट के हित में व जनतांत्रिक मूल्यो के विपरीत दृष्टिगत होता है।

अतः आवेदक न्यासी प्रार्थी श्री पराग कुमार एवं श्री शिशिर कुमार गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, प्रकरण संख्या– 53/2015 बाबत् प्रन्यास बैठक दिनांक–23.05.2014 को एतद् द्वारा स्वीकार किया जाता हैं। तदनुरूप रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे एवं आवेदक श्री बृजेश कुमार गोस्वामी के प्रकरण संख्या–52/2015 बाबत प्रन्यास बैठक दिनांक 12.08.2015 के फार्म संख्या–8 को, जो कि उन्होने दिनांक 19.10.2015 को प्रस्तुत किया है, को एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता हैं। सभी सम्बन्धित को अवगत कराया जावें पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दीपिका मेघवाल)
सहायक आयुक्त(मु0)
देवस्थान विभाग
राजस्थान–उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दीपिका मेघवाल)
सहायक आयुक्त(मु0)
देवस्थान विभाग
राजस्थान–उदयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
मुख्यालय, उदयपुर